# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 10/2019 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– पूनम नैण पत्नी स्व. श्री विकास कुमार जाति जाट निवासी जोडकिया तहसील व जिला हनुमानगढ।

–––––अपीलान्ट

––बनाम––

राजस्थान राज्य।

–––––रेस्पोडेन्ट

अनुपस्थित :– श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित :– श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

## निर्णय

दिनांक : 28.06.2021

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 23.04.2018, जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अपने पति श्री विकास कुमार के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 07/2003 डीएम हनुमानगढ बना है, जिस पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष अपीलांट ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 06.02.2018 में मृतक प्रकरण में आवेदक को शस्त्र लाईसेंस दिये जाने की अनुशंषा की है। परन्तु अपीलाधीन आदेशिका दिनांक 23.04.2018 में उल्लेख है कि अपीलांट ने शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एस–1 नहीं होकर सेवानिवृत सैन्यकर्मी द्वारा जारी प्रमाण पत्र है। मृतक अनुज्ञा पत्रधारी के अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की एवं न ही मृतक के अनुज्ञा पत्र का नम्बर, दिनांक अंकित किये एवं न ही शस्त्र जमा की रसीद प्रस्तुत की है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

मृतक का अनुज्ञा पत्र कहॉ से जारी है एवं कब तक नवीनीकृत है। इन्हीं आधारों पर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय प्रस्तुत की गयी है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री ज्ञानसिंह बिश्नोई ने बहस में मुख्यतः कथन किया है कि मृतक प्रकरण में अपीलांट ने अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ, उप वन संरक्षक, हनुमानगढ, उप खण्ड अधिकारी, हनुमानगढ व राज्य विशेष शाखा राजस्थान जयपुर से रिपोर्ट ली गई। उक्त समस्त विभागों के अधिकारियों ने रिपोर्ट में अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र देने की अनुशंषा की है। इसके उपरान्त अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा तौर पर केवल इस आधार पर कि "अपीलांट ने मृतक पति स्व. विकास कुमार का अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं किया एवं ना ही अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत की व ना ही अनुज्ञा पत्र नम्बर आवेदन पत्र में अंकित किया" अपीलाधीन आदेश पारित कर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। यह अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलार्थी का आवेदन निरस्त करने से पूर्व नोटिस दिया जाकर उसे सुना चाहिए था, यदि सुनवाई का अवसर दिया जाता तो उक्त समस्त कमीपूर्ति अपीलांट कर देती। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उसे कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलांट दिनांक 17.06.2019 को स्वंय के आवेदन पर हुई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना चाहने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के कार्यालय पर गई तब ज्ञात हुआ कि उसका आवेदन पत्र दिनांक 23.04.2018 को ही निरस्त किया जा चुका है, जिसकी नकल उसी दिन आवेदन करने पर दिनांक 19.06.2019 को जारी कर दी गई। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अपने स्वर्गीय पति के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष आवेदन किया है। जबकि बिना शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये हथियार उत्तराधिकार में प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आयुध अधिनियम 2016 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नहीं किया तथा अपने आवेदन पत्र में उसका कहीं उल्लेख भी नहीं किया है। अपील अपीलांट मियाद बाहर भी प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस एवं अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध यह अपील देरी से प्रस्तुत की है, जिसके संबंध में अपील मीमो के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं, प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में दिये गये कथनों से सहमत होकर विलम्ब को कन्डोन करते हुए अपील सुनवाई की गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य कथन किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ ने अपीलांट को शस्त्र लाईसेंस दिये जाने की अनुशंषा करने के बावजूद अपीलांट को मृतक प्रकरण में शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को अधिनस्थ न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट को नजर अंदाज करते हुए बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2018 से निरस्त किया है। जबकि राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में दिये गये आधारों को सही ठहराया है। हथियार उत्तराधिकार में प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र में अपने पति के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के संबंध में दी जाने वाली जानकारी को छुपाया है। अपीलांट द्वारा विधि सम्मत शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलांट ने अपने आवेदन पत्र के साथ अपने पति के नाम के लाईसेंस पर दर्ज हथियार के जमा की रसीद भी पेश नहीं की थी।

6. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2018 में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2018 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

7. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 28.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर